न्यायालय जिला कलक्टर, सांचौर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री शक्ति सिंह राठौड (IAS)

प्रकरण संख्या 52 / 2023

1. दरजा पुत्र नरसा
2. खेमा पुत्र छगा जाति पूरोहित निवासी रोड़ा तहसील रानीवाडा जिला–सांचौर

.....प्रार्थी

1. मनजी पुत्र मकनाजी जाति पूरोहित निवासी रोड़ा तहसील रानीवाडा जिला–सांचौर
2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला–सांचौर

.....अप्रार्थी

उपस्थित प्रार्थी :– श्री मोहनलाल विश्नोई।

अप्रार्थी संख्या :– श्री लाधुसिंह किलवा

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सुनवाई कर आदेश को खंडित करने हेतु बोर्ड को निर्देशित करने

न्यायालय जिला कलक्टर सांचौर (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांक 25.11.2024

प्रार्थीगण द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रोड़ा तहसील रानीवाडा के खसरा नम्बर 76,77,78,79 रकबा क्रमशः 0.91हे, 1.56हे, 0.93हे, 0.49हे, जुमले रकबा 3.89हे की आराजी आई हुई है। उक्त आराजी राज्य सरकार की भूमि राजस्व रेकर्ड में वक्त वाद पत्र पेश करने समय दर्ज थी। उक्त आराजी बाबत वादी मनजी पुत्र मकनाजी जाति पूरोहित निवासी रोड़ा ने एक दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा की अदालत में दिनांक 5.10.2006 को पेश किया था जो अनवान प्रकरण मनजी बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर जालोर के नाम वाद पत्र बाबत खातेदारी हक की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा, राजस्व मूल वाद संख्या 24/2006 के रूप में दर्ज हुआ । जिसका निर्णय दिनांक 27.07.2023 को किया गया । उक्त वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी बाबत वादी ने वादी द्वारा तथा वादी के पूर्वज वादी के पिता द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर काबिज काश्त होकर कब्जा होने के आधार पर प्रतिकुल कब्जे के सिद्धान्त के चलते खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। तथा उक्त खातेदारी घोषणा पर स्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी थी। वाद पत्र में कुल चार वर्तमान खसरा नम्बर 76,77,78 व 79 की आराजी से संबंधित न्यायालय से घोषणा चाही थी, जिसमें से खसरा नम्बर 76,78,79 रकबा क्रमशः 0.75हे., 0. 93हे. व 0.49हे. की खातेदारी की घोषणा कर आंशिक रूप से वाद पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया हैं। तथा खसरा नम्बर 77 रकबा 1. 56हे. की आराजी की घोषणा वादी के पक्ष में नहीं की हैं।

जिला कलक्टर
सांचौर (राज.)

प्रार्थीगण द्वारा बताया की सरहद मौजा रोड़ा तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा नम्बर 79 रकबा 0.49हे. किस्म बारानी दोयम की आराजी पर करीब 50वर्षो से अधिक समय से कब्जा व काश्त प्रार्थी संख्या 01 दरजा पुत्र नरसा कौम पुरोहित के पास चला आ रहा हैं तथा दरजा से पूर्व दरजा के पूर्वाधिकारी उक्त आराजी पर काबिज थे। उक्त खसरा नम्बर 79 रकबा 0.49हे. पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थी दरजा को अतिक्रमी मानते हुये नोटिस जारी किया जो प्रकरण संख्या 295/11 दिनांक 13.10. 2011 को जारी किया। इस प्रकार इसी आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 0.49हे. के संबंध में प्रकरण संख्या 257/14 में प्रार्थी संख्या 1 दरजाराम पुत्र नरसाराम को अतिकमी मानते हुये नोटिस दिनांक 26.09.2023 को जारी किया गया। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.93हे. के संबंध में प्रार्थी संख्या 2 खेमा पुत्र छगा को तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अतिकमी मानते हुये धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत दिनांक 15. 10.2012 को नोटिस जारी किया गया। उक्त आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.93हे. पर प्रार्थी संख्या 2 खेमा का कब्जा काश्त उक्त आराजी पर 50वर्षो से भी अधिक पुराना चला आ रहा हैं। खेमा से पूर्व खेमा के पूर्वाधिकारी छगा (छगनाजी) उक्त आराजी पर काबिज काश्त थे।

प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट का नोटिस जो की वाद पत्र के प्रतिवादी संख्या 2 हल्का तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा जारी किया गया तथा सुनवाई की गई, मगर प्रतिवादी संख्या 2 हल्का तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य (प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट की कार्यवाही) बाबत कोई सूचना न्यायालय हाजा को नहीं दी गयी तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 2 हल्का तहसीलदार द्वारा दिये गये जवाब व प्रतिवादी की तरफ से पेश बयानों में भी कथन नहीं किया हैं। इस प्रकार वादी मनजी द्वारा पेश वाद पत्र को दूरभि संधिया महत्वपूर्ण भूल के चलते प्रार्थीगण को बिना सूचना दिये वाद पत्र का निर्णय कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर यह आवश्यक हो जाता हैं कि उक्त वाद पत्र में प्रार्थीगण एक अहम पक्षकार हैं। तथा प्रकरण के न्यायिक निर्णयन से पूर्व प्रार्थीगण की सुनवाई आवश्यक हैं। वाद पत्र में उक्त निर्णय मय डिक्री हो जाने के बाद मनजी व मनजी के पुत्रगण ने हम प्रार्थीगण को दिनांक 09.10.2023 को कहा की तुम्हारे कब्जा सुदा मौजा रोड़ा तहसील रानीवाड़ा के खसरा नम्बर 79व 78 के संबध में मैनें न्यायालय से निर्णय मय डिक्री बाबत खातेदारी हको की प्राप्त कर ली है। तथा अब तुम्हें यह आराजी खाली करनी होगी। तब हम प्रार्थीगण ने न्यायालय में से उक्त नकले प्राप्त की तो हमें पता चला की इस प्रकार से न्यायालय हाजा को गुमराह करते हुये वादी मनजी ने न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर ली हैं। मनजी की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2021 को वादी की ओर से पेश साक्ष्य शपथ पत्र को मुख्य परीक्षा माने जाने बाबत पेश किया, वह गलत पेश किया हैं, जबकि प्रार्थीगण को दिये गये धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के नोटिस की वादी मनजी को जानकारी थी। सरहद मौजा रोड़ा तहसील रानीवाड़ा के वादग्रस्त खसरा नम्बर 78 व 79 जो राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 80 के लगतो लगत आया हुआ हैं। खसरा नम्बर 80 रकबा 4.77हे. की आराजी प्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर सांचौर (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
सांचौर (राज.)

दरजा व खेमा तथा कांतिलाल व बादली की सामलाती खातेदारी आराजी हैं। उक्त आराजी खसरा नम्बर 80 खसरा नम्बर 79 व 78 पर कब्जा व काश्त प्रार्थीगण का मौके पर आया हुआ हैं। प्रार्थीगण दरजा व खेमा का मौके पर खसरा नम्बर 80 सहित खसरा नम्बर 78 व 79 का मौके पर एक चक के रूप में कब्जा काश्त हैं। मौके पर खसरा नम्बर 80 व 78 तथा 79 के बीच में कोई माठ नहीं है। मौके पर खसरा नम्बर 80,78 व 79 एक चक में आये हुये हैं तथा उक्त खसरा नम्बर 80,78 व 79 के चारों तरफ कांटो की बाड़ व तारबंदी की हुई हैं। खसरा नम्बर 78 व 79 पर वादी मनजी का कोई कब्जा काश्त वर्तमान में तथा वर्तमान से पूर्व कभी नहीं था । वादी मनजी ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में निरन्तर कब्जा व काश्त अपना होने का कथन अपनी गवाही दिनांक 30.09.2021 को गलत किया हैं। क्योंकि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 78 व 79 के संबंध में प्रार्थीगण दरजा व खेमा को धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के नोटिस प्राप्त हो चुके हैं। इसमें यह माना जाता हैं कि खसरा नम्बर 78 व 79 पर प्रार्थीगण को प्राप्त हुये नोटिस वर्ष पर कब्जा वादी का नहीं था।

प्रार्थीण द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त आराजी ख.न 78 पर वर्ष 2003 में कब्जा तेजा पुत्र सोमाजी तथा ख.न 79 पर वर्ष 2003 में कब्जा प्रताप पुत्र सोमाजी का रहा है। नवीन खसरा नम्बर 76,77,78 व 79 के प्रथम सेटलमेंट के दौरान पुराने खसरा नम्बर 50 मिन व 52 मिन रकबा क्रमशः 32 बीघा 1 बिस्वा व 17 बीघा 18 बिस्वा थे। उक्त वादग्रस्त आराजी के प्रथम सेटलमेंट के पुराने खसरा नम्बर 50 मीन व 52 मीन भी सरकारी खाता में राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेंट से ही लगातार आज तक राजकीय खाते में दर्ज रही है। तथा उक्त आराजी पर समय समय पर प्रार्थीगण दरजा व खेमा का कब्जा काश्त भी रहा है। तथा वर्तमान में भी दरजा व खेमा का कब्जा काश्त मौके पर मौजुद हैं। इसके उपरान्त भी मात्र कागजी खाना पूर्ति कर मातहत न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा द्वारा वादी मनजी के हक में निर्णय मय डिक्री पारीत कर दी। वादग्रस्त आराजी के वर्तमान तथ्यो व वर्तमान मौका स्थिति का बिना भौतिक सत्यापन किये निर्णय अवैध की श्रेणी में आते हैं। वादी मनजी ने अपना लगातार कब्जा काश्त होने के लिये सेटलमेंट की कार्यवाही के संबंध में उजरदारी नहीं की गई।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा द्वारा किये गये निर्णित प्रकरण को मंगवाकर उक्त प्रकरण का मुझ प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में निरीक्षण कर उक्त निर्णय मय डिक्री को खण्डित करने या उल्ट देने की राय के साथ प्रकरण को माननीय राजस्व मंडल अजमेर को निर्देशित करवाने के आदेश फरमावे ।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के संबंध में विधिक आपत्तिया प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को तलंब कर डिक्री को खंडित करने हेतु राजस्व मंडल अजमेर को निर्देशित करने का अनुतोष चाहा है । कि प्रार्थीगण ने तथ्यों को जानबूझकर शपथ छुपाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योकि उक्त वाद संख्या 24/06 का निर्णय सहायक कलेक्टर रानीवाडा

न्यायालय जिला कलक्टर सांचौर (राज.)

जिला कलक्टर
सांचौर (राज.)

द्वारा दिनांक 04–10–07 को किया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 29–12–14 को निस्तारित की गयी। उसके बाद उक्त प्रकरण की द्वितीय अपील राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष पेश की गई तथा राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–02–21 के निर्देशों की पालना में उक्त प्रकरण में सहायक कलेक्टर रानीवाडा द्वारा उक्त निर्णय 27–07–23 को पारित किया गया है। इसीलिए प्रार्थी द्वारा श्रीमान के न्यायालय से चाहा गया अनुतोष वह प्राप्त करने के हकदार नहीं है क्योकि राजस्व मंडल के निर्देश एवं निर्णय अनुसार ही उक्त निर्णय पारीत किया गया है। जिसकी अपील आज तक नहीं की गई है । इसलिए उक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधि विरूद्ध है। उक्त मूल प्रकरण संख्या 24/2006 में जिला कलेक्टर स्वयं पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में संयोजित है । तथा राजस्व अपील प्राधिकारी पाली एवं राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष चली अपीलों में भी जिला कलेक्टर स्वयं पक्षकार है । तथा उसे हस्तगत प्रकरण की सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। उक्त प्रकरण जिला कलेक्टर से उच्च राजस्व न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय के अनुसार पारीत किया गया है जिसकी विधिवत अपील की जा सकती है परन्तु उक्त निर्णय में जिला कलेक्टर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की कोई लोकस स्टेंडाई नहीं है प्रार्थी मूल वाद में कहीं न तो पक्षकार है एवं न ही उसने अपने हको को लेकर कहीं उजर एतराज किया है। उक्त मूल वाद के निर्णय के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अपील पेश हो चुकी है। जो विचाराधीन है इसलिए सामानांतर दुसरी कार्यवाही किया जाना विधि विरुद्ध है।

न्यायालय जिला कलक्टर सांचौर (राज.)

अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जवाब पदवार पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या एक रिकार्ड एवं दस्तावेजात द्वारा की गयी पुष्टि तक स्वीकार्य है अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या दो रिकार्ड एवं दस्तावेजात द्वारा की गयी पुष्टि तक स्वीकार्य है अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार है । प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या तीन रिकार्ड एवं दस्तावेजात द्वारा की गयी पुष्टि तक स्वीकार्य है अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या चार गलत होने से अस्वीकार है। की हमारा कब्जा ग्राम रोड़ा के खसरा नंबर 76,77,78,79 पर 50 वर्षो से भी अधिक पुराना है। उसी आधार पर सहायक कलेक्टर रानीवाडा ने अप्रार्थी की खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। प्रार्थी ने जो, 91 RLR के नोटिस की बात कही है उन बातो का यहाँ उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी इस नोटिस के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहता है तो उसे सक्षम न्यायलय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा पेश करना चाहिए था । परन्तु प्रार्थीगण ने आज तक कोई दावा खातेदारी बाबत किसी न्यायलय में पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या पांच गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी जिस धारा 91 RLR एक्ट के तहत जारी नोटिस के आधार पर अपने अधिकारों को क्लेम कर रहा है उस नोटिस की सुनवाई हो चुकी है। तथा प्रार्थी के विरुद्ध बेदखली एवं जुर्माना के भी आदेश हो चुके है तथा प्रार्थी ने उक्त निर्णय की आज तक कोई अपील नहीं की है। प्रार्थीगण ने तथ्यों को जानबूझकर शपथ छुपाते

जिला कलक्टर
सांचौर (राज.)

हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योकि उक्त वाद संख्या 24/06 का निर्णय सहायक कलेक्टर रानीवाडा द्वारा दिनांक 04–10–07 को किया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 29– 12–14 को निस्तारित की गयी। उसके बाद उक्त प्रकरण की द्वितीय अपील राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष पेश की गई तथा राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–02–21 के निर्देशों की पालना में उक्त प्रकरण में सहायक कलेक्टर रानीवाडा द्वारा उक्त निर्णय 27–07–23 को पारित किया गया है। उक्त वाद संख्या 24/06 का निर्णय सहायक कलेक्टर रानीवाडा द्वारा दिनांक 04–10–07 को किया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 29–12–14 को निस्तारित् की गयी । उसके बाद उक्त प्रकरण की द्वितीय अपील राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष पेश की गयी तथा राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 11–02–21 के निर्देशों की पालना में उक्त प्रकरण में सहायक कलेक्टर रानीवाडा द्वारा उक्त निर्णय 27–07–23 को पारीत किया गया है। जिसकी अपील भी RAA पाली के समक्ष पेश हो चुकी है। तथा विशेष रूप से निवेदन है कि न्यायालय रानीवाडा ने पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करके उक्त निर्णय पारीत किया है जिसमे कोई विधिक त्रुटी नहीं है। यहाँ विशेष रूप से निवेदन है कि प्रार्थी भूमाफिया एवं ब्लेकमेलर है। तथा उसे मेरे हक में हुए फैसले की जानकारी होने के बाद से मेरे से अवैध वसूली की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं होने पर मुझे तंग करने एवं खर्चे से जैरबार करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सांचौर (राज.)

अतः निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन, बलहीन, आधारहीन होने से सादर खारिज फरमावे।

प्रार्थीगण की और प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता उपस्थित हुए।

उभयपक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। एवं बहस पर मनन किया गया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सहायक कलेक्टर रानीवाडा में प्रस्तुत वाद संख्या 24/2006 का डिक्री दिनांक 04.10.2007 को पारीत की गई। उक्त डिक्री की अपील राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.12.2014 को निस्तारित की गई। उपरान्त बाद उक्त प्रकरण की द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण को सुनवाई कर सहायक कलक्टर रानीवाडा को पुनः रिमाण्ड कर उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारीत करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त निर्देशों की पालना में सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा पुनःनये सिरे से दर्ज कर उभय पक्षों को समुचित अवसर प्रदान कर एवं तनकी कायम करते हुए दिनांक 27.07.2023 को डिक्री पारीत की गई। सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा पारीत डिक्री दिनांक 27.07.2023 को पक्षकारों द्वारा पुनः राजस्व अपील के समक्ष अपील पेश की गई। जो अपील विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जब तक मूल अपील/वाद का निस्तारण नही हो जाता

जिला कलक्टर
सांचौर (राज.)

है। तब तक हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही है। माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं राजस्व मण्डल की अनैको ऐसी नजीरें है। जिनमें बताया गया कि रेफरेन्स कार्यवाही एक युक्तियुक्त एवं वाजिब समय में की जानी चाहिए, परन्तु यहां तो सहायक कलक्टर की डिक्री के विरूद्ध अपील पेश की गई। जब डिक्री के विरूद्ध अपील का प्रावधान है। एक ही विषय विस्तु को लेकर अलग–अलग न्यायालयों में प्रार्थना पत्र व वाद को चलाना कोई यथोचित औचित्य नही है। जबकि प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी और राजस्व मण्डल में विचारित होकर समुचित न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्णीत हो चुका है। और तद्नुसार सहायक कलक्टर के न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए गए है और वर्तमान में भी प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी में लम्बित है।

उपरोक्त विवेचन एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आधारहीन एवं सारहीन होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

–:: आदेश :–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

(श्री शक्ति सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
सांचौर

न्यायालय जिला कलक्टर सांचौर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
सांचौर

जिला कलक्टर
सांचौर (राज.)